वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा । [illegible] / नजा / [illegible] / [illegible]
Fex

08 OCT 2010

पत्रांक :–11/मु0 विविध– 018/10 73(11)रा.

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2

प्रेषक,

डॉ0 सी0 अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उच्च न्यायालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 8/X/10

विषय :– **राजस्व पर्षद, प्रमंडलीय, आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों एवं अनुमंडलीय पदाधिकारियों के लिपिक वर्ग, मूल वर्ग का नियंत्रण जिला अतिथि गृह का प्रशासी प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रण से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य सूची में सम्मिलित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना सं0–2094 दिनांक–17.11.2009 के द्वारा कार्यपालिका नियमावली 1979 की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–40 में वर्णित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्य वितरण सूची के क्रमांक–8 एवं 12 को विलोपित कर क्रमांक–10 में "परिसदनों" शब्द को विलोपित कर दिया गया है। फलस्वरूप विषयांकित कार्यालयों से संबंधित वर्ग का नियंत्रण एवं जिला अतिथिगृह का प्रशासी प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कार्य सूची से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की कार्य सूची में सम्मिलित कर दिया है।

155
[illegible]2010

अतएव अनुरोध है कि विषयांकित मामले से संबंधित पत्र एवं अभिलेख को सीधे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

6/10/10
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 73(11)रा. दिनांक– 8/X/10

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/10/10
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव